पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 68/2019

अनवान :

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज)

– वादी

मेहरचन्द बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. प्रमिला पुत्री श्री महेन्द्रसिंह पत्नि नरेश चन्द्र पाल सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 नया 30 भादरा, तहसील भादरा।
4. एस.बी.आई. बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बस स्टेण्ड भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि डोभी बारानी के खाता सं0 6/3 के मु0नं0 188 के किला नं0 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 ता 23 मु0नं0 202 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 205 के किला नं0 2 ता 8, मु0नं0 225 के किला नं0 3 ता 8, 14, 15, 17, 18, 23 ता 25 मु0नं0 226 के किला नं0 7 ता 13, 19 ता 22 मु0नं0 230 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 231 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मु0नं0 250 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 251 के किला नं0 3 ता 8 कुल खसरा 84 की 21.2520 है0 खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सा में अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 68/2019

अनवान :

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज)

– वादी

मेहरचन्द बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. प्रमिला पुत्री श्री महेन्द्रसिंह पत्नि नरेश चन्द्र पाल सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 नया 30 भादरा, तहसील भादरा।
4. एस.बी.आई. बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बस स्टेण्ड भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री सतवीर बैनीवाल : वादी
निर्णय **दिनांक : 10.06.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डोभी में वादी के दादा मेहरचन्द पुत्र कालूराम की खातेदारी भूमि चक डोभी बारानी के खाता सं0 143 के मु0नं0 179 के किला नं0 19 ता 22, मु0नं0 188 के किला नं0 1, 2 किला नं0 6 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 219 के किला नं0 24, 25 मु0नं0 225 के किला नं0 3, ता 8, 14, 15, 17, 18, 23 ता 25, मु0नं0 226 के किला नं0 7 ता 13, 19 ता 22 कुल खसरा 46 की 11.6347 है0, बारानी वादी के दादा मेहरचन्द के नाम गैरखातेदारी हुआ करती थी। चक डोभी बारानी के खाता सं0 46 के मु0नं0 202 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 205 के किला नं0 2 ता 8, मु0नं0 230 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 231 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मु0नं0 250 के किला नं0 1, 10 मु0नं0 251 के किला नं0 3 ता 8 कुल खसरा 48 की 12.1406 है0, बारानी गैरखातेदारी हुआ करती थी।

मौरूशाला मेहरचन्द की मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज आराजी उसके वारिसानों ईश्वरसिंह, इन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह नारायणी पिसरान मेहरचन्द के नाम औद हो गई। नारायणी पुत्री मेहरचन्द ने अपना हिस्सा भाईयों के नाम तर्क कर दिया जो कर्ता खानदान होने के कारण ईश्वरसिंह, इन्द्रसिंह व महेन्द्रसिंह के बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई जो डोभी बारानी के खाता सं0 6/3 के मु0नं0 188 के किला नं0 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 ता 23 मु0नं0 202 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 205 के किला नं0 2 ता 8, मु0नं0 225 के किला नं0 3 ता 8, 14, 15, 17, 18, 23 ता 25

10.6.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु0नं0 226 के किला नं0 7 ता 13, 19 ता 22 मु0नं0 230 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 231 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मु0नं0 250 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 251 के किला नं0 3 ता 8 कुल खसरा 84 की 21.2520 है0 खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है, वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का अपने जन्म से मुताबिक हिन्दू विधि हक व हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद भूमि दर्ज रहने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को बार बार आवाज लगाई गई बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 वादी देवेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम बारानी डोभी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 1, 2, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डोभी बारानी खाता स0 6/3 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है प्रतिवादिया सं0 3 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है किन्तु उसका हिस्सा भी बहिस्सा बराबर में रखा गया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम डोभी बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम बारानी डोभी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 1, 2 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा मेहरचन्द वल्द कालुराम के नाम दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि वादी के पिता महेन्द्रसिंह को अपने पिता मेहरचन्द अर्थात् वादी के दादा से विरास्तन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में महेन्द्रसिंह के वारिसान में पत्नी सरस्वती देवी, दो पुत्र जयप्रकाश व देवेन्द्र कुमार एवं एक पुत्री प्रमिला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

10.6.12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि डोभी बारानी के खाता सं0 6/3 के मु0नं0 188 के किला नं0 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 ता 23 मु0नं0 202 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 205 के किला नं0 2 ता 8, मु0नं0 225 के किला नं0 3 ता 8, 14, 15, 17, 18, 23 ता 25 मु0नं0 226 के किला नं0 7 ता 13, 19 ता 22 मु0नं0 230 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 231 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मु0नं0 250 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 251 के किला नं0 3 ता 8 कुल खसरा 84 की 21.2520 है0 खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सा में अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़